रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102023-249674
CG-DL-E-25102023-249674

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 4457] | नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 23, 2023/कार्तिक 1, 1945 |
| No. 4457] | NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2023/KARTIKA 1, 1945 |


## मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

### (पशुपालन और डेयरी विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2023

**का.आ. 4636(अ).—**जबकि, सेवाएं या लाभ या सब्सिडी देने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकार की वितरण प्रक्रिया आसान होती है, पारदर्शिता और कुशलता लाती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपना हक सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाती है तथा आधार, किसी की पहचान साबित करने के लिए बहु-दस्तावेजों की आवश्यकता से छुटकारा दिलाता है;

और जबकि, भारत सरकार में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (इसके बाद मंत्रालय के रूप में संदर्भित) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि – अवसंरचना विकास निधि के तहत घटक (इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित) योजना को प्रशासित करता है जिसे पशुपालन और डेयरी विभाग (इसके बाद कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में संदर्भित) द्वारा पूरे देश में क्रियान्वित किया जाता है;

और जबकि, योजना के तहत, वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न उप-घटकों के लिए ऋण-सह-सब्सिडी से जुड़े कार्यकलापों के लिए केंद्रीय सहायता हेतु अन्य के साथ-साथ व्यक्तिविशेष उद्यमियों, निजी कंपनियों,

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा-8 कंपनियों (इसके बाद लाभार्थियों के रूप में संदर्भित) को ब्याज सब्वेंसन की प्रतिपूर्ति (इसके बाद लाभों के रूप में निर्दिष्टि) की जाती है;

और जबकि, उपर्युक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अत: अब केंद्रीय सरकार, आधार (सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित की अपेक्षा करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक पात्र लाभार्थी को आधार कार्ड रखने का प्रमाण देना होगा या आधार प्रमाणन से गुजरना होगा।

(2) स्कीम के अधीनलाभ प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक लाभार्थी, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या, अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध] पर जा सकता है।

(3) आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय में स्कीम के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग को उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और संबंधित खंड या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित होने की दशा में संबंधित उक्त विभाग,विद्यमान विस्तार रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं विस्तार रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक जगहों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

परंतु जब तक व्यक्ति को आधार दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन लाभ निम्नलिख दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दिया जाएगा, अर्थात् -

(क) यदि लाभार्थी ने नामांकन किया है, तो उसका आधार नामांकन पहचान पर्ची या बायो-मेट्रिक अपडेट प्रमाणीकरण पर्ची; और

(ख) लाभार्थी का निम्न में से कोई भी पहचान दस्तावेज़ अर्थात् (i) फोटो के साथ बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) विस्तारित जॉब कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र, जिसमेंऐसे व्यक्ति की फोटो लगी हो; या (x) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग, जो कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी है, व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित अपवाद प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाएगा, अर्थात्:

(क) खराब गुणवत्ता के फिंगरप्रिंट मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस (आईआरआईएस) स्कैन या फेस प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे संबंधित विभाग, जो कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी है, निर्बाध रूप से

लाभ प्रदानकरने के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ आईरिस (आईआरआईएस) या फेस स्कैनर की व्यवस्था करेगा।

(ख) उंगलियों के निशान या आईरिस या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति, आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ प्रमाणीकरण, पेश किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या वन टाइम पासवर्ड समय- आधारित वन टाइम- पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, भौतिक आधार कार्ड के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसकी प्रामाणिकता को आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।

4. कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग सुविधाजनक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था प्रदान करेगा।

5. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एए-17/5/2023-एनएलएम-डीएडीएफ]

डॉ. ओ.पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

**NOTIFICATION**

New Delhi, 9th October, 2023

**S.O. 4636(E).—**Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the scheme of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund- component under the Infrastructure Development Fund (herein referred to as the Scheme) which is implemented by the Department of Animal Husbandry and Dairying (herein after referred to as the Implementing Agency) across the country;

And whereas, under the scheme, Interest subvention is reimbursed (herein referred to as the benefits) inter-alia, to the individual entrepreneurs, private companies, Farmers Producers Organizations and Section 8 companies (hereinafter referred to as the beneficiaries), towards central assistance for credit-cum-subsidy linked activities for the different sub components as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby requires the following , namely:—

1. (1) Every eligible beneficiaries desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Every eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department, which is responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration

or the Ministry, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the said concerned Department shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of expand or by becoming expand Registrars itself:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) anyone of the following documents namely: -

(i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter Identification Card; or (iii) Permanent Account Number Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) expand Job Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department, which is responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration through the implementing Agency, shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) In case of poor fingerprint quality, Immune Reconstruction Inflammatory Syndrome scan or Face Authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the concerned Department, which is responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration through the implementing Agency, shall make provisions for Immune Reconstruction Inflammatory Syndrome scanners or Face Authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case of biometric authentication through fingerprints or Immune Reconstruction Inflammatory Syndrome or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or One Time Password or Time-based One Time Password authentication is not possible, benefit may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter.

4. The necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration through the Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the State of Assam, Meghalaya and the Union territory of Jammu and Kashmir.

[F. No. AA-17/5/2023-NLM-DADF]

Dr. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2023.10.25 22:23:59 +05'30'